संख्या- 1164 /23-3-18-17(जनरल)/2016

सजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

1 मे,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

2. प्रबध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,
लखनऊ।

प्रबध निदेशक,
राजकीय निर्माण निगम लि0,
लखनऊ।

4. उ0प्र0 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 मई, 2018

विषयः प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रो (लोकवाणी केन्द्रो/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रो के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा लोक निर्माण विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनसामान्य को किफायती पारदर्शी आदर्श सहज एवं सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उ0प्र0 सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवायें प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रो के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

2- उपरोक्त के परिपेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की निम्न सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से जनसमान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है-

S.No	Services
1	Decision on sending report under road side control.
2	Registration of contractors Decision on sending records for verification after having been provided by contractors.
3	Decision on registration/renewal (According to the registration Rules-1982) on receipt of all records after verification

ENC-GO-2018-167

4– लोक निर्माण विभाग के चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जनसुविधा केन्द्रो ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेंगे।

4– अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

5– लोक निर्माण विभाग की चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी/एस.ई.एम.टी की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई–डिस्टिक पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात् सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो–लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

6– यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा–जन सेवा केन्द्रो/लोक वाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रो द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहिया यथा–इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

7– आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोक वाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिये प्रस्तर–3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

8– ई–डिस्ट्रिक पोर्टल से ई–रजिस्ट्रेशन/ई–रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे है।

9– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहिया शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

ENC GO 2018 RP